



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001
Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com



Registered/E-mail

RO/RPCB/SWM/SWM-870/2525-2530

Date: 25/03/2026

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri
Jaipur.

Subject:- Minutes of Public Hearing dated 13.03.2026 conducted for Environmental Clearance of M/s Shri Adil Ahmad S/o Shri Jamil Ahmad for their proposed M.L./Plot No. 21/2025 of Masonry Stone (Minor Mineral), Mining Project, Area – 1.0 Ha. (Proposed), Production Capacity – 83025 TPA (ROM), Cluster Area:- 48.83 hectare situated at Near Village- Syaroli, Tehsil- Wazirpur, Distt. Sawai Madhopur (Raj.).

Ref:- 1. Office of the District Collector Sawai Madhopur letter no. 364 dated 21.01.2026.
2. Public hearing conducted on 13.03.2026 at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra, Syaroli Gram Panchayat - Syaroli, Tehsil – Wazirpur, District - Sawai Madhopur.**

Respected Sir,

Please find enclosed herewith minutes of public hearing dated 13.03.2026 conducted at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra, Syaroli Gram Panchayat - Syaroli, Tehsil – Wazirpur, District - Sawai Madhopur** for Environmental Clearance M/s Shri Adil Ahmad S/o Shri Jamil Ahmad for their proposed M.L./Plot No. 21/2025 of Masonry Stone (Minor Mineral), Mining Project, Area – 1.0 Ha. (Proposed), Production Capacity – 83025 TPA (ROM), Cluster Area:- 48.83 hectare situated at Near Village- Syaroli, Tehsil- Wazirpur, Distt. Sawai Madhopur (Raj.).

Information regarding the public hearing was published by project proponent on 06.02.2026 in two newspapers of Sawai Madhopur edition of Gulabi Hulchal and the Dainik Bhaskar.

The public hearing of the above proposed mining project was conducted on 13.03.2026 and proceeding of the same is hereby enclosed in original along with pen drive of videography carried during public hearing, photography, attendance sheet and copy of newspaper published as above mentioned.

Enclosed:-

1. Minutes of meeting of public hearing in original (3 pages).
2. Attendance sheet of persons present during public hearing in original (3 pages).
3. Videography of public hearing in Pen drive & Photographs.
4. Copy of newspapers published dated 06.02.2026.

Yours sincerely

(Balijet Meena)
Regional Officer

Signature valid

Digitally signed by Balijet Meena
Designation: Environmental
Engineer
Date: 2026.03.25 18:06:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21267671

1





REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001
Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com



Copy to the following for information & necessary action :-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur.
2. The District Collector Office, Sawai Madhopur.
3. Additional District Collector, Gangapur City, District - Sawai Madhopur.
4. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceeding of public hearing on Board's website.
5. M/s Shri Adil Ahmad S/o Shri Jamil Ahmad, R/o Near Jama Masjid, Tehsil- Wazirpur, District- Sawai Madhopur (Rajasthan).

Regional Officer

RajKaj Ref No.:
21267671

1

Signature valid

Digitally signed by Baliset Meena
Designation: Environmental
Engineer
Date: 2026.03.25 18:06:43 IST
Reason: Approved



(Public Hearing Minutes)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 13.03.2026 का कार्यवृत्त

श्री अदिल अहमद द्वारा प्रस्तावित क्लस्टर मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना, खनन पट्टा संख्या. 21/2025, क्षेत्रफल- 1.0 हेक्टर, (प्रस्तावित) उत्पादन क्षमता -83,025 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 48.83 हैक्टर, निकट ग्राम - श्यारौली, तहसील- वजीरपुर, जिला-सवाई माधोपुर, (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक लोकजन सुनवाई दिनांक 13.03.2026 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम पंचायत - श्यारौली के 'भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र', श्यारौली, तहसील - वजीरपुर, जिला - सवाई माधोपुर में श्री सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रतिनिधी) एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 26 लोग उपस्थित रहे। उपस्थिति पत्र "परिशिष्ट अ" पर संलग्न है।

जनसुनवाई हेतु आम सूचना समाचार पत्र सवाई माधोपुर जिले के गुलाबी हलचल एवं दैनिक भास्कर के संस्करण में दिनांक 06.02.2026 में प्रकाशित करवा दी गई थी एवं मुनादी एक दिवस पूर्व दिनांक 12.03.2026 को ग्राम पंचायत - श्यारौली में करवाई गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्री बलजीत मीणा, द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी एवं उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुये बताया कि आज की जनसुनवाई ग्राम - श्यारौली में प्रस्तावित क्लस्टर मैसनरी स्टोन (लघु खनिज) खनन परियोजना के खनन पट्टा प्लॉट न. 21/2025 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह लोक सुनवाई आयोजित कि जा रही है। जिसमें खनन परियोजना पर्यावरणीय सलाहकार आपको परियोजना के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसके उपरान्त इस परियोजना से सम्बन्धित आपके सुझाव एवं आपत्तियाँ ली जाएंगी, जो आप केमरे के सामने मौखिक या लिखित दे सकते हैं।

जिसके उपरान्त खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. मोहम्मद आरिफ़ ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से प्लॉट न. 21/2025 से सम्बन्धित खनन परियोजना, खनन कार्य से पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण, जल गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व (सी. एस.आर) आदि के बारे में पॉवर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन की सहायता से विस्तार से बताया।

यहाँ परियोजना प्रस्तावक, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर के अधिकारी, पर्यावरण सलाहकार सभी बैठे है। अगर कोई आंशका, सुझाव शिकायत होतो वह पूछ सकता है।

इसके पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पर्यावरण सलाहकार से पूछा की परियोजना में पोधारोपण कितना करोगे।


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर


सुदर्शन सिंह तोमर (R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (सं०मा०)

(गंगापुर सिटी)
शिक्षणीय प्रयोग
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

इसके पश्चात पर्यावरण सलाहकार ने बताया की उक्त परियोजना मे 165 पोथे लगाए जाइगे। जिसमे लीज के चारो तरफ 7.5 मीटर के सुरक्षा अवरोध में 75 पोथे और लीज के बाहर (खसरा संख्या - 341) 90 पोथे लगाए जाइगे। जिसमे 165 पोथों के लिए पर्यावरण प्रबंधन के अन्दर प्रस्तावित खर्च रखा गया है जो वृक्षारोपण के लिए लगभग 800 रूपये प्रति पौधा रखा गया है। जिसमे पौधों की खरीद और रखरखाव के लिए पूंजी लागत 57750 रु और आवर्ती लागत 74250 रु रखी गई है।

इसके पश्चात देशराज मीणा, खनिज कार्यदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग सवाई माधोपुर द्वारा पर्यावरण सलाहकार से पूछा की जो प्रस्तावित सामाजिक उतरदायित्व बजट मे सरकारी विद्यालय गंगापुर में स्मार्ट कक्षा के निर्माण में योगदान के लिए बजट गंगापुर के लिए क्यों रखा गया है जबकि लीज श्यारौली में है तो प्रस्तावित सामाजिक उतरदायित्व बजट छकड़ा/श्यारौली मे रखो।

इसके पश्चात पर्यावरण सलाहकार ने बताया की परियोजना मे प्रस्तावित सामाजिक उतरदायित्व बजट को वजीरपुर के निकट ग्राम छकड़ा/श्यारौली मे कर दिया जायेगा।

इसके पश्चात ग्रामवासी शेरसिंह जाट निवासी श्यारौली ने कहा की यह पहाड़ गांव का है। गांव का आदमी या कोई व्यक्ति मकान बनाना चाहता है तो पहाड़ से पत्थर निकाल सकते है क्या।

इसके पश्चात क्षेत्रिय अधिकारी और खनिज कार्यदेशक ने कहा कि खनिज सम्पदा पर सरकार का पूर्ण संरक्षण होता है तो वह आप बिना सरकार की स्वीकृति के खनन नहीं कर सकते आपको नियमानुसार सरकार द्वारा जारी प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा इसके बाद ही आप खनन कर सकते है। और पत्थर की जो कीमत होगी वो देकर खरीद सकते हो।

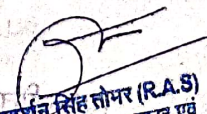
इसके पश्चात शेरसिंह द्वारा पूछा गया कि क्या हमें इस खान से पत्थर नहीं मिलेगा क्या जिसके प्रति उत्तर में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ग्रामवासियों के लिए जो भी मदद होगी वो मे पूरी करुंगा एवं ग्राम वासियों को जितनी आवश्यकता होगी उतने पत्थर देंगे।

ग्रामवासी बने सिंह निवासी श्यारौली ने कहा कि परियोजना प्रस्तावक से मेरी एक ही विनती है की जो हमारी एतिहासिक थाई (समाधि) है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नही करे और इसके अलावा हमे कोई आपति नही है।

इसके प्रति उत्तर में परियोजना प्रस्तावक श्री अदिल अहमद ने बताया कि जो एतिहासिक (समाधि है उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नही करेंगे इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी ने परियोजना प्रस्तावक से कहा की ऐसा ना हो कि आने जाने वालो के लिए रास्ता बंद कर दे या फिर रास्ता ऐसा बन जाये कि वहां लोग पेदल ही नहीं चल पाये या इधर-उधर गिर जाये इसके प्रतिउत्तर में परियोजना प्रस्थाव द्वारा आश्वासन दिया कि समाधि स्थल कि बाउंड्री करवा के उसको छोड़ कर ही खनन कार्य किया जाएगा एवं समाधि स्थल तक जाने के लिए रास्ता दिया जायेगा।

श्री तेज सिंह सरपंच प्रतिनिधि निवासी श्यारौली ने कहा कि इनके द्वारा धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव करने तथा पेड लगायेंगे। मे निवेदन करना चाहता हु की ग्राम पंचायत मे जितना काम करवा


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

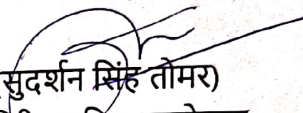

मुद्रा सिंह तोभर (R.A.S)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
मु. गंगापुर सिटी (संभा.ग.)

सकते हो उतना काम करवाओ । जिससे ग्राम पंचायत का विकास होगा। और बने सिंह जी भी ने एतिहासिक समाधि के बारे मे बताया और कहा कि इन्होने हमे आश्वासन दिया है कि हमारी आस्था का ध्यान रखेंगे जेसे गावं वाले कहेंगे वेसे ही काम करेंगे हम आप सभी के बहुत-बहुत आभारी है और हमें कोई आपत्ति नहीं है

इसके पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जनसुनवाई के समापन की घोषणा करते हुए सभी ग्रामवासियों को आस्वस्त किया कि जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक रूप से प्राप्त सुझाव एवं आपत्तिया आगे भिजवाई जायेगी, जिनका समिति द्वारा अध्ययन करके ही उचित निर्णय लिया जावेगा एवं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
सवाई माधोपुर

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर


(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
सुदर्शन सिंह तोमर (R.A.S)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
मु० गंगापुर सिटी (स०मा०)

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी / जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स आदिल अहमद पुत्र श्री जमील अहमद द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन (Minor Mineral) खनन परियोजना, मैसर्स मैसर्स आदिल अहमद पुत्र श्री जमील अहमद एम.एल./प्लॉट न. 21/2025, एरिया 1.0 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 83,025 टन (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल - 48.83 हैक्टर, निकट ग्राम- श्यारौली, तहसील - वजीरपुर व जिला - सवाई माधोपुर, (राजस्थान) में स्थित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.03.2026 को आयोजित जनसुनवाई की बैठक।

जनसुनवाई स्थल :- ग्राम पंचायत - श्यारौली तहसील वजीरपुर के भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, श्यारौली, तहसील- वजीरपुर, जिला - सवाई माधोपुर।

दिनांक : 13.03.2026.

समय : प्रातः 11.00 बजे।

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	पद नाम/कार्यालय/ग्राम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	Kudarkhan Singh Tomar	ADM-HP, G.N.C. (SWM)	9828410620	
2.	Baljeet Meena	RO, RSPCB, SWM	9461229662	
3.				
4.	KABIR KUMAR UNSTAR	JEE RSPCB	8209010555	
5.	Debnaj Meena	ग्रामि-ग्रामडिवाइन ग्राम एवं बुकिंग विभाग केन्द्र	8696800499	
6.	Dr. Anil Kumar Aarif	SBA Engineer M. Ltd, JWPur Consultant	809771896	
7.	Majid Khan	u	9672444422	

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा. - 871/1992-1995

दिनांक :- 04.02.2026

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विजय सिंह मीणा पुत्र श्री दीपचन्द मीणा द्वारा मेसनीरी स्टोन (Minor Mineral) खनन परियोजना, एम.एल. संख्या/प्लॉट नं. 22/2025, एरिया 1.0 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 95,280 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल - 48.83 हैक्टर, निकट ग्राम- श्यारीली, तहसील - वजीरपुर व जिला - सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

- (1) कार्यालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।
- (2) कार्यालय जिला परिषद, सवाई माधोपुर।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर।
- (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
- (6) जिला उद्योग केन्द्र, सवाई माधोपुर।
- (7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।

चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई दिनांक 24.03.2026 को ग्राम पंचायत - श्यारीली तहसील वजीरपुर के 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र', श्यारीली, तहसील - वजीरपुर, जिला - सवाई माधोपुर में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, आज्ञा से क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

(कलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001

फोन नं. : 07462-294921 ई-मेल - rorpeb.swm@gmail.com

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा. - 870/1976-1979

दिनांक :- 02.02.2026

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स आदिल अहमद मेसनीरी स्टोन (Minor Mineral) खनन परियोजना, प्लॉट नं. 21/2025, एरिया 1.0 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 83,025 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल - 48.83 हैक्टर, निकट ग्राम- श्यारीली, तहसील - वजीरपुर व जिला - सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

- (1) कार्यालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।
- (2) कार्यालय जिला परिषद, सवाई माधोपुर।
- (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर।
- (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
- (6) जिला उद्योग केन्द्र, सवाई माधोपुर।
- (7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर।

चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई दिनांक 13.03.2026 को ग्राम पंचायत - श्यारीली तहसील वजीरपुर के 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र', श्यारीली, तहसील - वजीरपुर, जिला - सवाई माधोपुर में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
(कलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान देश का अग्रणी निर्यातक राज्य है। इस संपाती, बालोतरा, जयपुर जैसे वस्त्र निर्माण के के तक पहुंच बनाएंगे। जब हमारे उद्योग समृद्ध होंगे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस प्रकार प्रभाव के साथ इस समझौते से अर्थव्यवस्था को अ

कार्यालय प्राचार्य जिला शिक्षा एवं संस्थान (डाईट) सवाई माधोपुर

क्रमांक: डाईट/लेखा/ 2025-26/80

निविदा सूचना

कार्यालय डाईट में कम्प्यूटर, कॉलर

स्पीकर वायरलेस व लेपटोप आदि क्रय किये जा माध्यम से आमंत्रित की जाती है जिन्हें दिनांक 05 2026 अपराह्न 2.00 बजे तक डाउनलोड/ अप है तथा निविदा दिनांक 12.02.2026 को दोप जावेगी।

निविदा की विस्तृत शर्तें राज्य सर

<http://sppp.rajasthan.gov.in> पर

UBN IS:EED2526GSOB002281

जिला शिक्षा एवं प्र

OFFICE OF THE SUPERINTEND

PHED, CIRCLE, SAWAI M

SE/SWM/PC/25-26/6663-68

NOTICE INVITING TE

Tenders of Circle from NIT N

26 for various works are hereby inv Governor of Rajasthan from regi provided they meet out 'pres criteria. Tenders are be submitted as p tender documents. The tender do downloaded from mentioned we schedule-

detailed NIT can be seen and downl

<http://www.rajwater.gov.in>, <http://sp>

SUPERINT

DIPR/C/2210/2026

PHED CIRCLE

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक बृजमोहन शर्मा के लिए अम्बर ऑफसेट प्रा.लि. डी.एल.टावर, प्ला गुलाबी हलचल कार्यालय, 119, राजविहार कॉलोनी, आलनपुर रो

